कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा/प्रारं/आरटीई/सी/युनिट कॉस्ट/18882/13–14/वो–III/195 दिनांकः– 27-5-14

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारंभिक/माध्यमिक शिक्षा
....

विषयः–आरटीई एक्ट् 2009 के प्रावधानान्तर्गत् सत्र् 2012–13 में गैर सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेशित 25 प्र.श. बालकों का प्रथम किस्त में अधिक भुगतान की गई राशि का समायोजन करने बाबत्।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आरटीई एक्ट् 2009 के प्रावधानान्तर्गत् सत्र् 2012–13 में गैर सरकारी विद्यालयों द्वारा 25 प्र.श. बालकों को निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेश दिए गए बालकों का पुनर्भरण राशि का प्रथम किस्त का भुगतान प्राथमिक/उ.प्रा.विद्यालयों को संबंधित बीईईओ एव माध्य./उ.मा. विद्यालयों के लिए संबंधित जिशिअ (प्राशि) के द्वारा किया गया था। सत्र् 2012–13 में प्रथम किस्त की राशि का भुगतान प्राप्त करने वाले कुछ गैर सरकारी विद्यालयों (जिनकी सूची संलग्न है) द्वारा आरटीई वेबपोर्टल पर सत्र् 2012–13 की प्रतिबालक प्रतिपूर्ति की प्राप्त राशि से कम राशि (शाला द्वारा प्रतिबालक लिया जाने वाला वार्षिक शुल्क) अपलोड़ की है। जिससे प्रतीत होता है कि ऐसे गैर सरकारी विद्यालयों को पुनर्भरण हेतु अधिक राशि का भुगतान किया जा चुका है।

यद्यपि निदेशालय द्वारा सत्र् 2013–14 की प्रथम किस्त के भुगतान के समय पूर्व में ही यह निर्देश प्रदान कर दिए गए थे कि किसी भी गैर सरकारी विद्यालय को सत्र् 2012–13 की प्रथम किस्त के भुगतान के समय किसी भी कारण से अधिक भुगतान हो जाने की स्थिति में सत्र् 2013–14 की प्रथम किस्त का भुगतान करते समय अधिक भुगतान की गई राशि का समायोजन किया जावे। उक्त क्रम में आरटीई वेबपोर्टल से डाउनलोड़ की गई सूची, जिसमें आपके जिले से संबंधित गैर सरकारी विद्यालयों के नाम सम्मिलित है, प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि संबंधित बीईईओ / जिशिअ (प्राशि) अपने कार्यालय अभिलेख से यह मिलान कर पुष्टि कर लेवें कि संलग्न सूची में उल्लेखित विद्यालयों को अधिक भुगतान की गई राशि का समायोजन कर लिया गया है। यदि समायोजन नहीं किया है तो सत्र् 2014–15 की प्रथम किस्त में से आवश्यक रूप से अधिक भुगतान राशि का समायोजन कर लिया जावे। इस संबंध में समस्त राशि का समायोजन कर निदेशालय को यह प्रमाण पत्र प्रेषित करें कि ''सत्र् 2012–13 में किए गए अधिक भुगतान की समस्त राशि का समायोजन कर लिया गया है।''

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपिः–

1. निजी सचिव, शासन सचिव स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. आयुक्त राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्, शिक्षा संकुल, जयपुर।
3. निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को प्रेषित कर निवेदन है कि अधीनस्थ जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा कार्यालयों से इसकी पालना सुनिश्चित करावें।
4. वित्तीय सलाहकार, कार्यालय हाजा।
5. उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा.........................को प्रेषित कर लेख है कि उक्त निर्देशों की समस्त अधीनस्थ कार्यालयों में अक्षरशः अनुपालना सुनिश्चित करावें।

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर